रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06012025-259974
SG-DL-E-06012025-259974

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 09]	दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/पौष 13, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 321
No. 09]	DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/PAUSHA 13, 1946	[N. C. T. D. No. 321

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2024

पुनर्वास तथा पुनःस्थापन योजना का प्रारूप

फा. सं. एलएसी/सी/2020/092623813/704.—भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 16 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन योजना के प्रारूप को भूमि अधिग्रहण में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 16 के अंतर्गत सार्वजनिक उद्देश्य अर्थात् **एमआरटीएस (मेट्रो रेल ट्रांजिट प्रणाली) परियोजना चरण–IV जो राहत गंज/आराम गंज, रोशनारा रोड, पुल बंगश, नई दिल्ली पर स्थित जनक पुरी पश्चिम से आरंभ होकर मुकुंदपुर–आर0के0 आश्रम मार्ग कॉरिडोर तक जाती है**, हेतु जिला मध्य में उप–प्रभाग कोतवाली के राहत गंज/आराम गंज, रोशनारा रोड, पुल बंगश पर स्थित **संपत्ति संख्या 8736–सी और 8736–डी की कुल भूमि माप 62 वर्ग मीटर (0.0062 हेक्टेयर)** वाली प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के लिए तैयार किया गया है।

प्रस्तावना :–

एमआरटीएस (मेट्रो रेल ट्रांजिट प्रणाली) परियोजना चरण–IV जो राहत गंज/आराम गंज, रोशनारा रोड, पुल बंगश, नई दिल्ली पर स्थित जनकपुरी पश्चिम से आरंभ होकर मुकुंदपुर–आर0के0 आश्रम मार्ग कॉरिडोर तक जाती है, हेतु जिला मजिस्ट्रेट (मध्य), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के अंतर्गत दिनांक **27.05.2024** को **प्राथमिक अधिसूचना संख्या फा0 एलएसी/सी/2020/(092623813)/440–452** के द्वारा जिला मध्य में उप–प्रभाग कोतवाली के राहत गंज/आराम गंज, रोशनारा रोड, पुल बंगश पर स्थित **संपत्ति संख्या 8736–सी और 8736–डी की कुल भूमि माप 62 वर्ग मीटर (0.0062 हेक्टेयर)** वाली भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचित की गई थी ।

उपरोक्त अधिसूचना के द्वारा, अपर जिला मजिस्ट्रेट (मध्य) को उपरोक्त यथा उल्लिखित उक्त भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा पुनःस्थापन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रशासक रूप में नियुक्त किया गया था।

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 16 के अनुसार, प्रशासक द्वारा पुनर्वास तथा पुनःस्थापन योजना के प्रारूप को तैयार किया गया है।

जिलाधिकारी, मध्य द्वारा धारा 11 की उपधारा 1 के अंतर्गत प्राथमिक अधिसूचना के प्रकाशन पर, संपत्ति संख्या 8736–सी और 8736–डी वाली भूमि के प्रभावित परिवारों की जनगणना, भूमि तथा अचल संपत्तियों, संरचनाओं, वृक्षों, आधारभूत सुविधाओं और उपयोगिताओं आदि के विवरण के संबंध में दिनांक 12/07/2024 को धारा 16 (1) के अंतर्गत एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था।

(क) प्रत्येक प्रभावित परिवार की अधिग्रहित की जा रही भूमि और अचल संपत्तियों के विवरणः –

अधिग्रहित की जा रही कुल भूमि : – संपत्ति संख्या 8736–सी और 8736–डी , कुल भूमि माप (62 वर्ग मीटर)

भूमि की प्रकृति : – निर्मित

खसरा संख्या एवं क्षेत्र	**अधिग्रहण के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर में)**	**इच्छुक व्यक्ति का नाम**	**भूमि का प्रकार**	**टिप्पणी**
संपत्ति संख्या 8736–सी और 8736–डी, राहत गंज/आराम गंज, रोशनारा रोड, पुल बंगश	62 वर्ग मीटर (0.0062 हेक्टेयर)	विवेक सदाना, पूजा सदाना	निर्मित	
		अनुराग नंदा		

वृक्ष : शून्य

अन्य अचल संपत्तियां या परिसंपत्तियां : – शून्य

(ख) भूमि खोने वालों और भूमिहीनों जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अधिग्रहित की जा रही भूमि पर निर्भर है, के संबंध में आजीविका की हानि : –

अंतिम एसआईए रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 75 पर पैरा 8.1.3 के अनुसार कहा गया है कि :

"8.1.3 पीएएफएस की आजीविका की हानि हेतु प्रतिपूर्ति

श्री विवेक सदाना की आय प्रतिमाह 1,20,000/– रुपये है तथा श्रीमती पूजा सदाना की आय प्रतिमाह 1,00,000/– रुपये है। तीसरा भूमि मालिक श्री अनुराग नंदा अपने परिवार में अकेले आय अर्जक है और उनकी मासिक आय प्रतिमाह 2,30,000/– रुपये है। इनके अनुसार, इनकी आय पूर्णतः उस जमीन पर निर्भर है जिसे डीएमआरसी द्वारा अधिग्रहित किया जाना है। ***तथापि, उनमें से किसी ने भी मासिक आय के समर्थन में कोई सबूत उपलब्ध नहीं कराया है।***

8.1.4 श्रमिकों और मजदूरों की आजीविका की हानि हेतु प्रतिपूर्ति

सात मजदूर भूमि मालिकों के साथ उनकी दुकानों में कार्य कर रहे हैं, उन्हें उनकी आजीविका की हानि के लिए भूमि मालिकों के साथ उचित प्रतिपूर्ति दिए जाने की आव"यकता है। अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार, अधिग्रहित भूमि से विस्थापित होने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को प्रतिपूर्ति की जाएगी। तथापि, इसकी गणना करने के लिए पैरामीटर परिभाषित किए गए हैं क्योंकि भूमि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित है। श्रमिकों/मजदूरों की आजीविका की हानि की प्रतिपूर्ति हेतु दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखा जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, एसआईए रिपोर्ट के अनुसार, जैसा कि श्रमिकों में तकनीकी जानकारी और मशीनों को चलाने का ज्ञान बहुत कम होता है, इसलिए मजदूरों को अर्ध–कुशल माना जाता है और प्रतिपूर्ति की गणना करने के लिए उस श्रेणी की मजदूरी को ध्यान में रखा जाता है। ***मजदूरों के लिए एक साल की मजदूरी की हानि को प्रतिपूर्ति के रूप में लिया गया है । (तालिका 8.3)***

तालिका 8.3: श्रमिकों की आजीविका की हानि हेतु प्रतिपूर्ति

क्र0सं0	पीएएफएस के प्रमुख	आजीविका प्रतिपूर्ति प्रतिमाह (रुपये में)	12 माह के लिए कुल प्रतिपूर्ति (रुपये में)
1	विजय कुमार	18,187/–	2,18,244/–
2	लोक राम	18,187/–	2,18,244/–
3	श्री भगवान	18,187/–	2,18,244/–
4	शाजाद	18,187/–	2,18,244/–
5	गुलाब	18,187/–	2,18,244/–
6	सुनील	18,187/–	2,18,244/–
7	देवेन्द्र कुमार	18,187/–	2,18,244/–
कुल		**1,27,309/–**	**15,27,708/–**

8.1.5 किराये से होने वाली आय की हानि के लिए प्रतिपूर्ति

एसआईए रिपोर्ट के अनुसार, श्री विवेक सदाना को 20000/– रुपये प्रतिमाह, सुश्री पूजा सदाना को 30000/– रुपये प्रतिमाह और श्री अनुराग नंदा को 1000/– रुपये प्रतिमाह मिलते थे। तथापि, उन्होंने अपने दावे जैसे कि– किराए का समझौता पत्र या किसी भी तरह के वित्तीय लेनदेन साक्ष्य के निमित्त कोई सबूत नहीं दिखाया था।

8.1.6 स्थानांतरण सहायता

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के अनुसार, परियोजना के कारण अपनी परिसंपत्तियों को पुनर्स्थापित करने वाले प्रत्येक प्रभावित दुकान मालिक को 50,000/– रुपये की एकमुश्त स्थानांतरण सहायता दी जाएगी।

8.1.7 आकस्मिक प्रावधान :

सक्षम प्राधिकारी को आकस्मिक प्रावधानों अर्थात आर एंड आर घटक की कुल लागत के 10 प्रतिशत को ध्यान में रखना होगा।

तथा धारा 16 (1) के अंतर्गत दिनांक 12.07.2024 की संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, अधिग्रहित की जा रही भूमि पर कोई भी परिवार निवास नहीं कर रहा है। इसलिए, कोई भी परिवार विस्थापित नहीं है। परंतु, इस अधिग्रहण से निम्न उल्लिखित श्रमिक तथा दुकान मालिक प्रभावित है :

क्र. सं.	नाम	आयु	आधार संख्या	जाति	टिप्पणियां
1	विजय कुमार सुपुत्र श्री चंद	46	691359413728	जायसवाल	
2	लेख राम सुपुत्र गुलाब सिंह	50	311438670286	कुम्हार	
3	श्री भगवान				जैसा कि विवेक सदाना ने बताया कि एसआईए के बाद दोनों कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए।
4	शाजाद	48	838065005583		
5	गुलाब सुपुत्र पन्ना लाल	49	796295490339	प्रजापति/कुम्हार	
6	सुनील				जैसा कि अनुराग नंदा ने बताया कि एसआईए के बाद कर्मचारी ने नौकरी छोड़ दी थी।
7	देवेंद्र कुमार सुपुत्र ओम प्रकाश	46	428814726170	जाटव	तहसीलदार गाजियाबाद द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र संख्या 2316, दिनांक 25.09.1995
8	विवेक सदाना	60	385658660091	सामान्य	
9	पूजा सदाना	59	347573777009	सामान्य	
10	अनुराग नंदा	52	824446687337	सामान्य	

(नोट : दिनांक 12.07.2024 को किए गए संयुक्त सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, श्री अनुराग नंदा ने प्रस्तुत किया कि उनकी संपत्ति संख्या अनजाने में 8736–सी के बजाय 8736–डी के रूप में उल्लिखित है।)

(क) प्रभावित क्षेत्र में व्यापार या व्यवसायों की सूची :

एसआईए रिपोर्ट के अनुसार, सभी तीनों भूमि मालिक/हितबद्ध व्यक्ति अपने स्वयं के व्यवसाय में शामिल थे।

श्री विवेक सदाना ने फैक्ट्री लाइसेंस विभाग उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा दिनांक 19.05.2022 को श्री विवेक कुमार के नाम पर जारी फैक्ट्री लाइसेंस संख्या एनएफएल2202101563 प्रस्तुत किया है।

श्री अनुराग नंदा के परिसर में रामा डीजल वर्क्स चलता पाया गया। उन्होनें फैक्ट्री लाइसेंस विभाग दिल्ली नगर निगम द्वारा दिनांक 29.05.2022 को श्री हकीकत राय नन्दा के नाम पर जारी फैक्ट्री लाइसेंस संख्या एनएफएल3202210341 प्रस्तुत किया है।

(ख) प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की सूची :

एसआईए रिपोर्ट पैरा 5.2 की तालिका 5.10 के अनुसार, सात में से दो मजदूर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के थे। आगे, दिनांक 12.07.2024 को धारा 16(1) के अंतर्गत किए गए संयुक्त सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, श्री देवेंद्र कुमार की पहचान जाटव जाति से हुई, जो श्री अनुराग नंदा का कर्मचारी था, जिसे अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। यद्यपि, एसआईए रिपोर्ट में यथा

उल्लिखित दिनांक 12.07.2024 के संयुक्त सर्वेक्षण में किसी भी मजदूर की पहचान अनुसूचित जनजाति क रूप में नहीं की गई थी।

यद्यपि, अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कोई भी परिवार निवास नहीं कर रहा था, इसलिए धारा 3(K) के अंतर्गत परिभाषा के अनुसार कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हुआ। इसलिए, कोई भी व्यक्ति आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 41 और आरएफसीटीएलएआरआर नियमावली, 2015 के नियम 9 के अंतर्गत पुनर्वास और पुनःस्थापन के लाभ के लिए पात्र नहीं है।

(ग) सार्वजनिक उपयोगिताओं और सरकारी भवनों की सूची जो प्रभावित हैं या प्रभावित होने की संभावना है, जहां प्रभावित परिवारों का पुनःस्थापन शामिल है : –

एसआईए रिपोर्ट के अनुसार कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हुआ है।

इसलिए, इसे लागू नहीं माना जा सकता।

(घ) सुख–सुविधाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विवरण जो प्रभावित हुई हैं या प्रभावित होने की संभावना है, जहां प्रभावित परिवारों का पुनःस्थापन शामिल हैः –

कोई भो आवासीय क्वार्टर/मानव बस्तियाँ प्रभावित नहीं हो रही हैं, इसलिए प्रभावित परिवारों को विस्थापित परिवारों की श्रेणी में भाामिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए, प्रभावित परिवारों के लिए पुनःस्थापन लागू नहीं है। साथ ही, अधिग्रहण से किसी भी सुख–सुविधा और अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि कोई भी मौजूद नहीं है।

इसे लागू नहीं माना जा सकता।

(ड.) अधिग्रहित की जा रही किसी भी सामान्य संपत्ति संसाधन का विवरणः –

इसे लागू नहीं माना जा सकता।

(च) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 धारा 16 (2) के अंतर्गत

(i) पुनःस्थापन क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाने वाले सरकारी भवनों की सूची;

इसे लागू नहीं माना जा सकता।

(ii) पुनःस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाने वाली सार्वजनिक सुख–सुविधाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विवरण।

इसे लागू नहीं माना जा सकता।

(छ) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2015 के नियम 7(4) के अनुसार ।

क) प्रभावित परिवारों के सदस्यों की आधार संख्या सहित सूची, यदि उपलब्ध हो तो : –

दिनांक 12.07.2024 को धारा 16(1) के अंतर्गत किए गए संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार, प्रभावित व्यक्ति निम्नानुसार सूचीबद्ध हैं : –

क्र. सं.	नाम	आयु	आधार संख्या	जाति	टिप्पणियां
1	विजय कुमार सुपुत्र श्री चंद	46	691359413728	जायसवाल	
2	लेख राम सुपुत्र गुलाब सिंह	50	311438670286	कुम्हार	
3	श्री भगवान				जैसा कि विवेक सदाना ने बताया कि एसआईए के बाद दोनों कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए।
4	शाजाद	48	838065005583		
5	गुलाब सुपुत्र पन्ना लाल	49	796295490339	प्रजापति/कुम्हार	
6	सुनील				जैसा कि अनुराग नंदा ने बताया कि एसआईए के बाद कर्मचारी ने नौकरी छोड़ दी थी।
7	देवेंद्र कुमार सुपुत्र ओम प्रकाश	46	428814726170	जाटव	तहसीलदार गाजियाबाद द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र संख्या 2316, दिनांक 25.09.1995
8	विवेक सदाना	60	385658660091	सामान्य	
9	पूजा सदाना	59	347573777009	सामान्य	
10	अनुराग नंदा	52	824446687337	सामान्य	

(ख) विस्थापित परिवारों के सदस्यों की आधार संख्या सहित सूची, यदि उपलब्ध हो तो : –

यद्यपि, अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कोई भी परिवार निवास नहीं कर रहा था, इसलिए धारा 3(K) के अंतर्गत परिभाषा के अनुसार कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हुआ।

इसे शून्य माना जा सकता है।

(ग) प्रभावित क्षेत्र में अवसंरचना की सूची;

इसे लागू नहीं माना जा सकता।

(घ) प्रभावित क्षेत्र में भूमि धारकों की सूची;

प्रभावित क्षेत्र में भूमि धारकों का विवरण निम्नानुसार है: –

खसरा संख्या एवं क्षेत्र	अधिग्रहण के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	भूमि का प्रकार	टिप्पणियां
संपत्ति संख्या 8736–सी और 8736–डी, राहत गंज/आराम गंज, रोशनारा रोड, पुल बंगश	62 वर्ग मीटर (0.0062 हेक्टेयर)	विवेक सदाना, पूजा सदाना	निर्मित	
		अनुराग नंदा		

(ड.) भूमि या भवन से संबद्ध वृक्षों, भवनों, अन्य अचल सम्पत्ति या परिसंपत्तियों की सूची, जिन्हें अधिग्रहित किया जाना है।

दिनांक 12.07.2024 के संयुक्त सर्वेक्षण अनुसार

- **प्रस्तावित भूमि पर कोई वृक्ष विद्यमान नहीं ह।**
- **प्रस्तावित भूमि निर्मित है।**

(च) प्रभावित क्षेत्र में व्यापार या व्यवसायों की सूची;

एसआईए रिपोर्ट के अनुसार, सभी तीनों भूमि मालिक/हितबद्ध व्यक्ति अपने स्वयं के व्यवसाय में भाामिल थे।

श्री विवेक सदाना ने फैक्ट्री लाइसेंस विभाग उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा दिनांक 19.05.2022 को श्री विवेक कुमार के नाम पर जारी फैक्ट्री लाइसेंस संख्या एनएफएल2202101563 प्रस्तुत किया है।

श्री अनुराग नंदा के परिसर में रामा डीजल वर्क्स चलता पाया गया। उन्होनें फैक्ट्रो लाइसेंस विभाग दिल्ली नगर निगम द्वारा दिनांक 29.05.2022 को श्री हकीकत राय नन्दा के नाम पर जारी फैक्ट्री लाइसेंस संख्या एनएफएल3202210341 प्रस्तुत किया है।

(छ) प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की सूची;

एसआईए रिपोर्ट पैरा 5.2 की तालिका 5.10 के अनुसार, सात में से दो मजदूर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के थे। आगे, दिनांक 12.07.2024 को धारा 16(1) के अंतर्गत किए गए संयुक्त सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, श्री देवेंद्र कुमार की पहचान जाटव जाति से हुई, जो श्री अनुराग नंदा का कर्मचारी था, जिसे अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। यद्यपि, एसआईए रिपोर्ट में यथा उल्लिखित दिनांक 12.07.2024 के संयुक्त सर्वेक्षण में किसी भी मजदूर की पहचान अनुसूचित जनजाति के रूप में नहीं की गई थी।

यद्यपि, अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि पर कोई भी परिवार निवास नहीं कर रहा था, इसलिए धारा 3(क) के अंतर्गत परिभाषा के अनुसार कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हुआ। इसलिए, कोई भी व्यक्ति आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा 41 और आरएफसीटीएलएआरआर नियमावली, 2015 के नियम 9 के अंतर्गत पुनर्वास और पुनःस्थापन के लाभ के लिए पात्र नहीं है।

डॉ. अतुल पांडे, प्रशासक (पुनर्वास तथा पुनःस्थापन)

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th December, 2024

DRAFT REHABILITATION AND RESETTLEMENT SCHEME

F. No. LAC/C/2020/092623813/704.—In the exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition,Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme has been prepared under section 16 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act, 2013, for families affected with the proposed acquisition of land bearing **Property No. 8736-C & 8736-D** total land measuring **62 Sq. Mtr. (0.0062 hectares)**at **Rahat Ganj/Aram Ganj, Roshanara Road, Pul Bangash of Sub Division Kotwali in District Central**for public purpose, namely for the **MRTS** (**Metro Rail Transit System) project Phase-IVstarting from Janak Puri West - Mukundpur- R.K. Ashram Marg Corridor at Rahat Ganj / Aram Ganj, Roshanara Road, Pul Bangash New Delhi.**

Preface: -

Vide Preliminary Notification No. **F. No. LAC/C/2020/(092623813)/440-452** dated 27.05.2024 u/s 11 (1) of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 issued by District Magistrate (Central), Govt. of NCT of Delhi, for **MRTS** (**Metro Rail Transit System) project Phase-IVstarting from Janak Puri West -Mukundpur- R.K. Ashram Marg Corridor at Rahat Ganj / Aram Ganj, Roshanara Road, Pul Bangash New Delhi,** the land bearing **Property No. 8736-C & 8736-D** total land measuring **62 Sq. Mtr. (0.0062 hectares)** at **Rahat Ganj / Aram Ganj, Roshanara Road, Pul Bangash of Sub Division Kotwali in District Central** was notified for acquisition**.**

Vide above notification, Additional District Magistrate (Central) was appointed as the Administrator under sub section (1) of Section 43 of the said Act for Rehabilitation & Resettlement of affected families due to acquisition of the said land as mentioned above.

As per section 16 of the RFCTLARR Act, 2013, Draft Rehabilitation & Resettlement Scheme has been prepared by the Administrator.

Upon the publication of the preliminary notification under sub-section 1 of section 11 by the Collector, Central, a joint survey u/s 16(1) was carried out on *12/07/2024,*regarding census of the affected families, particulars of land and immovable properties, structures, trees, infrastructure facilities and utilities etc. of land bearing Property No. 8736-C & 8736-D.

(a) Particulars of lands and Immovable properties being acquired of each affected family: --

Total land being acquired: - Property No. 8736-C & 8736-D, Total land measuring (62 sq. Mtr)

Nature of land: - Built-up.

Khasra No. & Area	Area Under acquisition (in Hectares)	Name of interested person	Type of Land	Remarks
Property No. 8736-C & 8736-D, Rahat Ganj / Aram Ganj, Roshanara Road, Pul Bangash	*62 sq. Mtr. (0.0062 hectare)*	Vivek Sadana, Puja Sadana	Built-up	
		Anurag Nanda		

Trees: NIL

Other immovable properties or assets: -NIL

(b) Livelihoods lost in respect of land losers and landless whose livelihood are primarily dependent on the lands being acquired: -

As per Final SIA report Para 8.1.3, at Page No. 75 stated that:

"8.1.3 Compensation for loss of livelihood of PAFS

Mr. Vivek Sadana earns Rs. 1,20,000/pm- Mrs. Puja Sadana earns Rs.1,00,000/pm- respectively. The third land owner. Mr. Anurag Nanda is a single earning member in his family and his monthly income is 2,30,000/ pm. As per them their income is totally dependent on the land which is to be acquired by DMRC. ***However, no proof in support of monthly income has been provided by any of them.***

8.1.4 Compensation for loss of livelihood of workers and labourers.

Seven laborers are working with the land owners in their shops, they need to be compensated appropriately along with land owners for the loss of their livelihood. As per the Second Schedule of the act, each affected family which is displaced from the land acquired shall be compensated. However, parameters have been defined to calculate the same as the land is located in NCT of Delhi, the Minimum wages fixed by the Govt. of Delhi are being taken into account to compensate the losses of livelihood of workers/laborers.

Further, as per SIA report, as the workers involves little technical knowhow and knowledge to run machines the laborers are treated as semi-skilled and the wages of that category are considered to calculate compensation. ***A year's losses of wages has been taken as compensation for the laborers*** *(Table 8.3)*

Table 8.3: Compensation for loss of livelihood workers

S.No.	*Head of the PAFS*	*Livelihood Compensation per month in Rs.*	*Total Compensation for 12 months in Rs.*
1	*Vijay Kumar*	*18,187/-*	*2,18,244/-*
2	*Lok Ram*	*18,187/-*	*2,18,244/-*
3	*Shri Bhagwan*	*18,187/-*	*2,18,244/-*
4	*Shajad*	*18,187/-*	*2,18,244/-*
5	*Gulab*	*18,187/-*	*2,18,244/-*
6	*Sunil*	*18,187/-*	*2,18,244/-*
7	*Devendra Kumar*	*18,187/-*	*2,18,244/-*
Total		***1,27,309/-***	***15,27,708/-***

8.1.5 Compensation for loss of rent Income

As per SIA report, Mr. Vivek Sadana used to earn Rs. 20000/- per month, Ms. Puja Sadana was getting Rs. 30000/- per month and Mr. Anurag Nanda used to get Rs. 1000/- per month. However, they ***didn't show any proof against their claim*** *i.e. rent agreement paper or any kind of financial transaction evidence.*

8.1.6 Shifting assistance

As per the RFCTLARR Act, 2013, one-time shifting assistance of Rs.50,000/- per affected shop owners who required to relocate their assets due to the project shall be given to the affected family

8.1.7 Contingency Provisions:

The competent authority must take care of Contingency provisions i.e. 10% of the total cost of R&R component.

And Joint Survey Report dated 12.07.2024 u/s 16 (1), no family is residing on the land being acquired, Therefore, no family is displaced. But the below mentioned workers and shop owners are affected from this acquisition:

S.no.	Names	Age	Aadhar No.	Caste	Remarks
1	Vijay Kumar S/o Shri Chand	46	691359413728	Jaiswal	
2	Lekh Ram S/o Gulab Singh	50	311438670286	Kumhar	
3	Shri Bhagwan				As stated by Vivek Sadana, Both the workers left the job after SIA.
4	Shajad	48	838065005583		
5	Gulab S/o Panna Lal	49	796295490339	Prajapati/Kumhar	
6	Sunil				As stated by Anurag Nanda, worker left the job after SIA.
7	Devendra Kumar S/o Om Prakash	46	428814726170	Jatav	SC certificate issued by Tehsildar Ghaziabad bearing No. 2316 dt. 25.09.1995
8	Vivek Sadana	60	385658660091	General	
9	Puja Sadana	59	347573777009	General	
10	Anurag Nanda	52	824446687337	General	

(NOTE: As per report of Joint survey, carried out on 12.07.2024, Mr. Anurag Nanda submitted that his property number is inadvertently mentioned as 8736-D instead of 8736-C.)

(a) List of trade or businesses in the affected area:

As per SIA report, all the threeland owner interested persons involved in their own business.

Mr. Vivek Sadana has submitted a Factory License bearing No. NFL2202101563 dated 19.05.2022 issued in the name of Mr. Vivek Kumar by Factory License Department North MCD.

At the premises of Mr. Anurag Nanda, RAMA Diesel Works was found running. He has submitted a Factory License bearing No. NFL3202210341 dated 29.05.2022 issued in the name of Mr. Hakikat Rai Nanda by Factory License Department, MCD.

(b) List of persons belonging to SC/ST Handicapped or physically challenged persons in the affected area:

As per SIA report Para 5.2 Table 5.10, Two laborers out of seven were belongs to SC/ST category. Further, as per report of Joint Survey u/s 16(1) conducted on dated 12.07.2024, Sh. Devender Kumar was identified as belonging to Jatav caste, an employee of Mr. Anurag Nanda, which is recognized as scheduled caste. However, no laborer was identified as Schedule Tribe in the Joint Survey dated 12.07.2024 as mentioned in SIA report.

However, no family was residing in the proposed land for acquisition, therefore, no family is displaced as per definition under section 3(k). Hence, no one is eligible for benefit of Rehabilitation & Resettlement under section 41 of RFCTLARR Act, 2013 and Rule 9 of RFCTLARR Rules, 2015.

(c) A list of public utilities and Govt. building which are affected or likely to be affected where resettlement of affected families is involved: -

As per SIA report, no family is displaced.

Hence, may be treated as Not Applicable.

(d) Details of the amenities and infrastructural facilities which are affected or likely to be affected, where resettlement of affected families is involved: -

No living quarters/human settlements are getting affected and so the affected families may not be considered in the category of displaced families. Therefore, resettlement is not applicable for the affected families. Also, the acquisition does not affect any amenities and infrastructural facilities as none exist.

This may be treated as Not Applicable.

(e) Details of any common property resource being acquired: -

This may be treated as Not Applicable.

(f) Under section 16 (2) of Right toFair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

(i) A list of Government buildings to be provided in the Resettlement Areas;

This may be treated as Not Applicable

(ii) Details of the public amenities and infrastructural facilities which are to be provided in the Resettlement Area.

This may be treated as Not Applicable

(g) As per Rule 7(4) of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2015.

a) List of affected families with Aadhar number of its members, if available: -

As per Joint Survey u/s 16(1) conducted on dated 12.07.2024, the affected person listed is as under: -

S.no.	Names	Age	Aadhar No.	Caste	Remarks
1	Vijay Kumar S/o Shri Chand	46	691359413728	Jaiswal	
2	Lekh Ram S/o Gulab Singh	50	311438670286	Kumhar	
3	Shri Bhagwan				As stated by Vivek Sadana, Both the workers left the job after SIA.
4	Shajad	48	838065005583		
5	Gulab S/o Panna Lal	49	796295490339	Prajapati/Kumhar	
6	Sunil				As stated by Anurag Nanda, worker left the job after SIA.
7	Devendra Kumar S/o Om Prakash	46	428814726170	Jatav	SC certificate issued by Tehsildar Ghaziabad bearing No. 2316 dt. 25.09.1995
8	Vivek Sadana	60	385658660091	General	
9	Puja Sadana	59	347573777009	General	
10	Anurag Nanda	52	824446687337	General	

b) List of displaced families with Aadhar number of its members, if available;

No family was residing in the proposed land for acquisition; therefore, no family is displaced as per definition under section 3(k).

This may be treated as NIL.

c) List of infrastructure in the affected area;

This may be treated as Not Applicable.

d) List of land holdings in the affected area;

The details of the land holding in the affected area is as under: -

Khasra No. & Area	Area Under acquisition (in Hectares)	Name of interested person	Type of Land	Remarks
Property No. 8736-C & 8736-D, Rahat Ganj / Aram Ganj, Roshanara Road, Pul Bangash	*62 sq. Mtr.* *(0.0062 hectare)*	Vivek Sadana, Puja Sadana	Built-up	
		Anurag Nanda		

e) List of trees, buildings, other immovable property or assets attached to the land or building which are to be acquired.

As per Joint survey dated 12.07.2024

- **No tree exists on the proposed land**
- **The proposed land is built-up.**

f) List of trades or businesses in the affected area;

As per SIA report, all the Three land owner / interested persons involved in their own business.

Mr. Vivek Sadana has submitted a Factory License bearing No. NFL2202101563 dated 19.05.2022 issued in the name of Mr. Vivek Kumar by Factory License Department North MCD.

At the premises of Mr. Anurag Nanda, RAMA Diesel Works was found running. He has submitted a Factory License bearing No. NFL3202210341 dated 29.05.2022 issued in the name of Mr. Hakikat Rai Nanda by Factory License Department, MCD.

(g) List of persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the handicapped or physically challenged persons in the affected area;

As per SIA report Para 5.2 Table 5.10, Two laborers out of seven were belongs to SC/ST category. Further, as per report of Joint Survey u/s 16(1) conducted on dated 12.07.2024, Sh. Devender Kumar was identified as belonging to Jatav caste, an employee of Mr. Anurag Nanda, which is recognized as scheduled caste. However, no laborer was identified as Schedule Tribe in the Joint Survey dated 12.07.2024 as mentioned in SIA report.

However, no family was residing in the proposed land for acquisition, therefore, no family is displaced as per definition under section 3(k). Hence, not eligible for benefit of Rehabilitation & Resettlement under section 41 of RFCTLARR Act, 2013 and Rule 9 of RFCTLARR Rules, 2015.

Dr. ATUL PANDEY, Administrator (Rehabilitation & Resettlement)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA